



<https://jac.jharkhand.gov.in>

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

WEB-NOTICE – 29/2026

ज्ञापांक : JAC/JTET/2406/24/Secy/486/26

दिनांक : 20.06.2026

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 आवश्यक सूचना

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश संख्या- 18/नि. JTET-01/2026-160/विधि दिनांक 10.06.2026 के द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 (ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST Vs STATE OF Maharashtra & Others) एवं समरूप वाद तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर Review Petition (Civil) डायरी संख्या-534/2025 in सिविल अपील संख्या 1385/2025 [STATE OF UP VS ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST & OTHERS] में पारित अन्तिम आदेश के आलोक में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 के नियम-19 में अंकित प्रावधान के आलोक में कार्यरत/सेवारत् सहायक शिक्षक (अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष के अंतर्गत) एवं सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक, अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष के अंतर्गत) के लिए झारखण्ड पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने का निदेश दिया गया है।

उक्त आदेश में अंकित है कि "सेवारत् कतिपय सहायक शिक्षक सेवाकालीन (In-Service) प्रशिक्षण उत्तीर्ण हैं। इसी प्रकार कतिपय सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) DPE उत्तीर्ण हैं अथवा NIOS से शिक्षक प्रशिक्षण + छः माह का Bridge Course का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी कार्यरत/सेवारत् सहायक शिक्षक (अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष के अंतर्गत) एवं सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक, अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष के अंतर्गत) को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता है, के अंतर्गत द्विवर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण अथवा बी.एड. प्रशिक्षण योग्यताधारी कार्यरत/सेवारत् सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के अतिरिक्त उक्त प्रशिक्षण-योग्यताधारी कार्यरत/सेवारत् सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए भी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।" उक्त सहायक शिक्षकों एवं सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) के लिए तदनुसार प्रावधान समाहित करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निदेश प्राप्त है।

विज्ञप्ति संख्या- 24/2026, 34/2026, 39/2026 तथा वेब नोटिस 19/2026 के क्रम में एवं प्राप्त विभागीय आदेश के आलोक में कार्यरत/सेवारत् सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित आवश्यक प्रावधान पोर्टल में दिनांक 24.06.2026 से समाहित कर दिया जाएगा। ऐसे सेवारत् सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक, जिनके द्वारा पूर्व में आवेदन प्रपत्र नहीं भरा गया है और वे आदेश संख्या- 18/नि. JTET-01/2026-160/विधि, दिनांक 10.06.2026 में वर्णित अर्हता से आच्छादित हैं, परिषद् के पोर्टल के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। इन शिक्षकों/अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20.07.2026 तक विस्तारित की जाती है। वैसे सेवारत् सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक, जिनके द्वारा आवेदन प्रपत्र भरा जा चुका है, को पुनः आवेदन प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

2) झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 के लिए भरे गये आवेदन प्रपत्र से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों से आवेदन प्रपत्र त्रुटिपूर्ण भरे जाने से संबंधित शिकायत प्राप्त हो रही है और आवेदन प्रपत्र में संशोधन करने हेतु एक अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया जा रहा है। आवेदन प्रपत्र त्रुटिपूर्ण होने से संबंधित शिकायतों की समीक्षा में दो प्रकार की त्रुटि पाई गई है, एक जिससे शुल्क आच्छादित होगा (यथा- कोटि एवं लेबल में संशोधन) और दूसरा संशोधन से शुल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (यथा- नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि/पता/विषय/आदि)।

• जिन अभ्यर्थियों को अपने आवेदन प्रपत्र में कोटि एवं लेबल संबंधित संशोधन करना है, वे अपने आवेदन प्रपत्र को Cancel कर नया आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। यह संशोधन वर्तमान में आवेदन प्रपत्र भरने की निर्धारित समयवधि में ही सम्पादित की जा सकती है। इस हेतु दिनांक 20.07.2026 तक अंतिम तिथि निर्धारित है।

• जिन अभ्यर्थियों को अपने नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि/पता/विषय/आदि संशोधन करना है, के लिए वर्तमान में आवेदन प्रपत्र भरे जाने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि (20.07.2026) के उपरान्त संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा।

• विज्ञप्ति संख्या- 24/2026, 34/2026 एवं 39/2026 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह0/-

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

ज्ञापांक : JAC/JTET/2406/24/Secy/486/26

दिनांक : 20.06.2026

प्रतिलिपि : वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को इस आशय के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कि उपरोक्त वेब नोटिस को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/-

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।